कार्यालय वन संरक्षक शहडोल वृत्त शहडोल - 484001 (म.प्र.)

फोन नं. 240169 ई-मेल — cfshahdol@mp.gov.in

क्र./स्टेनो/82 शहडोल/दिनांक 24.01.2008

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(संरक्षण)
म0प्र0-भोपाल.

विषय :— श्री एस.के. गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक देवरी वन परिक्षेत्र पूर्व ब्यौहारी वनमण्डल उत्तर शहडोल के विरूद्ध पुलिस थाना देवलोंद जिला शहडोल में झूठा प्रकरण दर्ज कर एस.डी.ओ.पी. पुलिस श्री सी.एल. धुर्वे द्वारा प्रताड़ित किये जाने बावत्।

—00—

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री शिवकुमार गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक देवरी के रूप में वन परिक्षेत्र पूर्व ब्यौहारी वनमण्डल उत्तर शहडोल में पदस्थ रहकर शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

दिनांक 31.12.07 को कमलभान पिता भोला गोंड़, लोकनाथ पिता रामगोपाल गोंड़ एवं रामगोपाल पिता भोला गोंड़ साकिन गाड़ा व्दारा कक्ष क्रमांक आर.एफ. 31 के मुनारा क्रमांक 3 को हटाने एवं चिन्ह मिटाने के अपराध करने पर बीटगार्ड पपरेड़ी व्दारा वन अपराध प्रकरण 1178/20 दिनांक 31.12.07 कायम किया गया एवं परिक्षेत्र सहायक देवरी श्री एस.के. गुप्ता को सूचना दिया गया। इस पर दिनांक 31.12.07 को श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल एवं बीट गार्ड पपरेड़ी व्दारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 1178/20 दिनांक 31.12.07 की कार्यवाही करने के लिये पुलिस थाना ब्यौहारी में कार्यरत आरक्षक क्रमांक 445 श्री कौशल प्रसाद भट्ट को साथ लेकर वन सीमा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 31 मे पक्का मुनारा निर्माण कराने हेतु पहुँचे।

मौके पर अपराधी श्री रामगोपाल गोंड़ साकिन गाड़ा व्दारा मुनारा निर्माण कार्य को रोका गया एवं अपनी पत्नी को डंडे से पीटकर दिखावा किया गया। एक अन्य अपराधी श्री भोला गोड़ साकिन गाड़ा व्दारा स्वयं छप्पर पर आग लगाकर हल्ला मचाया गया एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई गई।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुये सभी वनकर्मचारी मौके से हट गये एवं ब्यौहारी वापस आकर पुलिस थाना ब्यौहारी में घटना की लिखित रिपोर्ट दर्ज किये तथा परिक्षेत्र कार्यालय पूर्व ब्यौहारी एवं उपवनमण्डल कार्यालय ब्यौहारी में घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई।

उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी श्री आर.के. कुरूे व्दारा दिनांक 04.01.08 को आरक्षक श्री कौशल प्रसाद भट्ट (क्रमांक 445) थाना ब्यौहारी को तलब कर उनके बयान दर्ज किये। आरक्षक के बयान से स्पष्ट हुआ कि अपराधी श्री रामगोपाल गोंड़ पिता श्री भोला गोंड़ ने जानबूझकर सोची समझी कूटनीति के तहत षडयंत्र रचकर वन कर्मचारियों को फसाने के लिये अपनी पत्नी को पीटा एवं अपने घर में आग लगाकर झूठी रिपोर्ट थाना देवलोंद में एवं एस.डी.ओ.पी. के यहाँ किया।

दिनांक 14.01.08 को श्री आर.के. कुम्हरे उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी व्यक्तिगत रूप से परिक्षेत्र अधिकारी गोदावल श्री यू.एस. नेटी को साथ लेकर घटना की पूरी जानकारी एस.डी.ओ. पुलिस ब्यौहारी को दिये। इस पर एस.डी.ओ. पुलिस श्री सी.एल. धुर्वे द्वारा कहा गया कि प्रथम दृष्टता यह प्रकरण फर्जी दिख रहा है तथा आश्वासन दिया गया कि इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नही होगी।

परन्तु दिनांक 21.01.08 को अचानक ही एस.डी.ओ. पुलिस ब्यौहारी श्री धुर्वे ने व्यक्तिगत रूप से मौका मुआयना करने हेतु श्री एस.के. गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल को बुलायाएवं श्री गुप्ता के व्दारा कहा गया कि उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी श्री आर.के. कुम्हरे को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि वे भी और मौका मुआयना करने हेतु कह रहे थे। जिस पर एस.डी.ओ. पुलिस श्री धुर्वे व्दारा कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नही है। श्री एस.के. गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल को एस.डी.ओ. पुलिस श्री धुर्वे व्दारा अपने वाहन में बैठा कर देवलोंद थाने ले गये तथा श्री गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री सी.एल. धुर्वे एस.डी.ओ. पुलिस ब्यौहारी व्दारा इस गिरफ्तारी की सूचना न वनमण्डल कार्यालय में दी गई और ना ही इस संबंध में वनमंडलाधिकारी से कोई चर्चा की गई है। शासकीय कर्मचारी श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुये पुलिस को साथ लेकर शासकीय कर्तव्य का पालन कर रहा था एवं श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल व्दारा किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करने के बावजूद भी श्री धुर्वे एस.डी.ओ. पुलिस ब्यौहारी व्दारा श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल के विरुद्ध बिना विभागीय अधिकारियों को सूचित किये ही संगीन धारायें लगाते हुये गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया, जो कि सम्पूर्ण अवैधानिक एवं उद्देश्य प्रणोदित है। श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल के ऊपर आई.पी.सी. की धारा 294, 323, 613, 435 तथा हरिजन आदिवासी एक्ट की धारा 3 (1) जैसे संगीन अपराध कायम कर लिया गया।

उपरोक्त घटना से वन विभाग के समस्त कर्मचारी/अधिकारी स्तब्ध रह गये। श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल की गिरफ्तारी की सूचना वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल को मिलते ही वे तत्काल पुलिस अधीक्षक शहडोल, उपपुलिस महानिरीक्षक शहडोल, कलेक्टर शहडोल, एवं मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर एस.डी.ओ. पुलिस श्री धुर्वे व्दारा इस प्रकार श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल को झूठे आरोप में फसाये जाने बावत् अवगत कराया। फलस्वरूप दिनांक 22.01.08 तक श्री गुप्ता उपवनक्षेत्रपाल को जमानत पर रिहा करा लिया गया है। इस संबंध में मै भी उपपुलिस महानिरीक्षक शहडोल एवं कलेक्टर शहडोल से व्यक्तिगत रूप से चर्चा किया। वर्तमान में श्री गुप्ता शासकीय कार्य कर रहे है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री धुर्वे ब्यौहारी में पूर्व में थानेदार की हैसियत से एवं वर्तमान में एस0डी0ओ0पी0 की हैसियत से लगभग विगत 7 वर्षों से ब्यौहारी में पदस्थ हैं। विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे वन विभाग के मैदानी अमले के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज न करने के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0 के निर्देशों एवं *म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक/नि–3–92–2001–10–1 दिनांक 28.05.2001 के अनुसार वन विभाग के वनरक्षकों, वनपालों और उपवनक्षेत्रपालों को शासकीय कार्य के दौरान उनके द्वारा किये गये किसी शासकीय कृत्य के लिये किसी न्यायालय में राज्य शासन की पूर्व अनुज्ञा के बिना अभियोजन नहीं किया जा सकता।* इसके

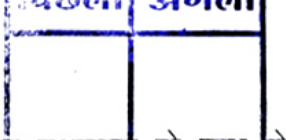

[illegible] श्री पी धुर्वे एस.डी.ओ. पुलिस ब्यौहारी के द्वारा गौवध मुआयना के नाम से श्री गुप्ता [illegible] को बुलाकर उसके शासकीय कर्तव्य पर वर्दी में रहते हुये गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण घटना क्रम से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एस.डी.ओ. पुलिस श्री धुर्वे द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग एवं शासन तथा वरिष्ठ के निर्देशों की अवहेलना करते हुये श्री एस.के. गुप्ता को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं वन विभाग के मैदानी अधिकारियो/कर्मचारियों का हौसला पस्त करने तथा उन्हे हतोत्साहित करने के लिये यह कार्यवाही की गई है। एस0डी0ओ0पी0 के इस कृत्य से विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। म0प्र0 वन कर्मचारी/अधिकारी संघ द्वारा वन वृत्त शहडोल में प्रदर्शन कर उपवनक्षेत्रपाल की गिरफ्तारी के विरूद्ध विरोध दर्ज कर कलेक्टर शहडोल एवं अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस कृत्य के लिये श्री धुर्वे एस0डी0ओ0पी0 के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये तत्काल उन्हें ब्यौहारी से हटाने, उपवनक्षेत्रपाल श्री गुप्ता के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का खात्मा करने एवं भविष्य में ऐसा कृत्य न करने के लिये लिखित आश्वासन की मांग की गई।

अतः निवेदन है कि श्री धुर्वे, एस0डी0ओ0पी0 के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि वनों की सुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल न गिरे। अन्यथा राष्ट्रीय वन सम्पदा की सुरक्षा निःसंदेह प्रभावित होगी।

(डॉ0 यू. प्रकाशम)
वन संरक्षक
शहडोल वृत्त शहडोल

पृ0क्रमांक/स्टेनो/83 शहडोल/दिनांक 24.01.2008

प्रतिलिपिः—

1— प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल को उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2— वनमंडलाधिकारी उत्तर शहडोल को उनके पत्र क्रमांक/स्टेनो/131 दिनांक 24.01.2008 के तारतम्य में सूचनार्थ।

वन संरक्षक
शहडोल वृत्त शहडोल